बिहार सरकार
कृषि विभाग

जल के एक-एक बूँद से अधिक उत्पादन

"हर खेत तक सिंचाई का पानी" के तहत
सूक्ष्म सिंचाई योजनान्तर्गत
80% तक अनुदान का लाभ उठायें।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Per Drop More Crop) अन्तर्गत ड्रीप सिंचाई पद्धति का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों के लिए उपलब्ध है।

ड्रिप सिंचाई से होने वाले लाभ।

- लगभग 60% जल की बचत।
- 25-30% उर्वरक की खपत में कमी।
- 30-35% लागत में कमी।
- 25-35% अधिक उत्पादन।
- बेहतर गुणवत्ता का उत्पाद।

फसलवार अनुशंसित सिंचाई पद्धति

* ड्रिप- गन्ना, अनानास, पपीता, केला, आम, लीची, अमरूद, सब्जी, अनार, लत्तीदार फसल, प्याज इत्यादि।
* मिनी स्प्रिंकलर - चाय, आलू, प्याज, धान, गेहूँ, सब्जी इत्यादि।
* माइक्रो स्प्रिंकलर - लीची, पॉली हाउस, शेडनेट हाउस इत्यादि।
* पोर्टेबल स्प्रिंकलर - दलहन, तेलहन, धान, गेहूँ, इत्यादि।

प्रति एकड़ लागत एवं अनुदान

सिंचाई पद्धति	सांकेतिक मूल्य	अधिकतम अनुदान %
ड्रिप	₹ 65,827	80
मिनी स्प्रिंकलर	₹ 52,548	80
माइक्रो स्प्रिंकलर	₹ 37,619	80
पोर्टेबल स्प्रिंकलर	₹ 15,193	55

शीघ्र आयें ड्रिप पर 80 प्रतिशत तक अनुदान पायें,
कम लागत में, दोगुनी आय पाए।

योजना का लाभ :-

* योजना अन्तर्गत अनुदान का लाभ लेने हेतु किसान स्वयं पूरी राशि लगाकर अथवा अनुदान की राशि घटाकर शेष राशि भुगतान कर यंत्र का अधिष्ठापन करा सकते है।
* इस योजना की विस्तृत जानकारी/ऑनलाइन आवेदन हेतु अपने क्षेत्र के सहायक निदेशक उद्यान/प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी/निबंधित कंपनियों से सम्पर्क किया जा सकता है।

योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया :-

- योजना का लाभ लेने हेतु उद्यान निदेशालय के बेवसाईट के **http://horticulture.bihar.gov.in** के **PMKSY** लिंक पर क्लिक कर आवेदन भरा जा सकता है।
- किसान अपने पसंद के कंपनी का चयन आवेदन करते समय ही कर सकतें हैं।
- आवेदन भरने के पश्चात् **Reference No.** लाभार्थी के मोबाईल पर प्राप्त होगा जिसे किसान सुरक्षित रखेंगे।
- किसान सुक्ष्म सिंचाई यंत्र अधिष्ठापन के उपरांत मोबाईल पर प्राप्त **OTP** को कार्य से संतुष्टि के उपरांत ही किसी अन्य व्यक्ति/कंपनी को साझा करें।

व्यक्तिगत नलकूप : ड्रिप सिंचाई अपनाने वाले एकल कृषकों को जल स्रोत के सृजन हेतु व्यक्तिगत नलकूप अधिष्ठापन पर अधिकतम 40,000.00 रुपये अनुदान का प्रावधान है।

सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया का फ्लो चार्ट

चरण –1 (a)
किसान द्वारा डी०बी०टी० पोर्टल पर निबंधन

↓

चरण –1 (b)
डी०बी०टी० पोर्टल का निबंधन संख्या, 01.04.2022 के बाद निर्गत भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, ऑफलाईन या ऑनलाईन रसीद के साथ भूमि का सम्पूर्ण विवरण के साथ PMKSY पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन।

↓

चरण –1 (c)
ऑनलाइन आवेदन के उपरांत किसान को Reference No. (MI.No.) उनके मोबाईल पर संदेश के रूप में जायेगा, उसे सुरक्षित रखें।

↓

चरण –1 (d)
किसान द्वारा चयनित कंपनी 7 दिनों के अन्दर प्राक्कलन एवं Design अपलोड करेगी।

↓

चरण –1 (e)
प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी 7 दिनों के अन्दर भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन तथा संबंधित सहायक निदेशक उद्यान द्वारा अगले 7 दिनों के अन्दर स्वयं अथवा अधिकृत कर्मी द्वारा भौतिक सत्यापन कराने के उपरांत कार्यादेश निर्गत।

↓

चरण –2 (a)
किसान द्वारा अपने अंश की राशि अथवा कुल लागत राशि BHDS के बैंक खाता संख्या–919010095611598, IFSC Code : UTIB0000387 में जमा किया जाना तथा राशि जमा करने के 25 दिनों के अन्दर कंपनी द्वारा यंत्र का अधिष्ठापन किया जाना।

↓

चरण –2 (b)
अधिष्ठापन के उपरांत कंपनी द्वारा सॉफ्टवेयर में विपत्र अपलोड किया जाना, तदोपरांत किसान के मोबाईल पर OTP जायेगा, जिसे संबंधित किसान यंत्र अधिष्ठापन की संतुष्टि के उपरांत ही कंपनी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को OTP उपलब्ध करायेंगे।

↓

चरण –2 (c)
संबंधित प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा अधिष्ठापन के उपरांत 7 दिनों के अन्दर भौतिक सत्यापन तथा सहायक निदेशक उद्यान द्वारा अगले 7 दिनों के अन्दर भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन अपलोड किया जाना।

↓

चरण –2 (d)
भौतिक सत्यापन के पश्चात् अनुदान की राशि अगले 7 दिनों के अन्दर कंपनी/किसान के बैंक खाते में PFMS के माध्यम से भुगतान किया जाना।

↓

चरण –2 (e)
कंपनी द्वारा अधिष्ठापन के उपरांत अगले 3 वर्षो तक यंत्र का वारण्टी उपलब्ध कराया जायेगा। कंपनी को 3 वर्षो तक प्रत्येक तिमाही पर अपना प्रतिनिधि परामर्श एवं रख–रखाव हेतु भेजना है, तथा किसी भी समय यंत्र में खराबी आने पर उसे ठीक करना है।

विशेष जानकारी हेतु किसान कॉल सेंटर में संपर्क करें–

1800 180 1551